

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

पत्र-६

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प

- आदेश -

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी **गुजराड़ी**
मू.अ.नि. **मैठकुरिया** की रिपोर्ट तथा तहसीलदार **रेलमगाप** / नायक
तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान मू.प.अ. अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसूचक में प्राप्त **आजगा** तहसील **रेलमगाप** व
जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् **20 नन** में खाता संख्या **180** में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं -

क्र.स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	आजगा	180	धनराज पुत्र बड़ी भूमि हे. 1/3 M.A. 4 B धने लिये	धनराज पुत्र बड़ी भूमि हे. 1/3 R. 4. B. धने लिये

उपखण्ड अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

क्रमांक-383

तिलिपि -

दिनांक - 16/10/25

1. तहसीलदार को भ्रजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट गिजावावे।
2. प्रार्थी श्री को सूचनाएं।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर